

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2023

विषय:- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की सहभागिता में वित्तीय वर्ष 2023-24 में संभावित बाढ़ के दृष्टिगत पूर्व तैयारी हेतु जनपदों में माँक एक्सरसाइज कराने के लिये धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 281 रा०आ०प्र०प्रा०/फ०व० एंड ई०सी०/2023-24, दिनांक 27 जून, 2023 एवं 324 रा०आ०प्र०प्रा०/2023-24, दिनांक 07 जुलाई, 2023, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सम्भवित बाढ़ के दृष्टिगत माँक एक्सरसाइज कराने हेतु धनराशि रू० 41,00,000/- (रू० इकतालीस लाख मात्र) की धनराशि की मांग की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 27 जून, 2023 एवं 07 जुलाई, 2023 पर सम्यक विचारोंपरान्त संभावित बाढ़ के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष वर्ष 2023-24 में पूर्व तैयारी हेतु जनपदों में माँक एक्सरसाइज कराने के लिये निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू० 41,00,000/- (रूपये इकतालीस लाख मात्र) की धनराशि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

- 2.

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 41,00,000/- (रुपये इकतालीस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-05-800-06-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-1005(1)/एक-10-2023-33(2)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट ऑबंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 10- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

८

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-13/07/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1005
001-1005
51 राजस्व विभाग (द्वैवि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जबालूर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-up	वर्तमान प्रणामी	4100000 191629670	4100000 191629670
	योग	वर्तमान प्रणामी	4100000 191629670	4100000 191629670

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया इक्तालीस लाख
रूपया उनीस करोड़ सोलह लाख उन्तीस हजार छः सौ सत्तर

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी